



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 11 नवम्बर, 2020

कार्तिक 20, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
निर्वाचन अनुभाग

संख्या 1190/61-2020  
लखनऊ, 11 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिये गये हैं, सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :-

### निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

40-नौगावां सादात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन 2020।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्रीमती संगीता चौहान (नाम) ग्राम व पोस्ट मुंडापांडे, तहसील व जिला मुरादाबाद (पता), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में चेतन चौहान की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुई हैं।

स्थान – नौगावां सादात।

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

(ह0 अपठनीय)

रिटर्निंग आफिसर,

40-नौगावां सादात विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

65-बुलन्दशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्रीमती उषा सिरौही (नाम)

उक्त सदन में वीरेन्द्र सिंह सिरौही की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान – बुलन्दशहर।

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

(ह0 अपठनीय),

रिटर्निंग आफिसर,

65-बुलन्दशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

95-टूण्डला (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री प्रेमपाल सिंह धनगर (नाम), म0नं0 446, चित्रगुप्त कॉलोनी, एटा, (उ0प्र0), जो भारतीय जनता पार्टी, (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं।

उस सदन में श्री सत्यपाल सिंह बघेल के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान – मण्डी समिति टूण्डला।

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

(ह0 अपठनीय),

रिटर्निंग आफिसर,

95-टूण्डला (अ0जा0) विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री श्रीकान्त कटियार, ग्राम रघुरामपुर, पोस्ट गंजमुरादाबाद, जिला उन्नाव, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम), द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्री कुलदीप सिंह सेंगर का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – उन्नाव।

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

दिनेश कुमार,

रिटर्निंग आफिसर,

162-बांगरमऊ विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

218-घाटमपुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, 73, छबीलेपुरवा, जाजमऊ, कानपुर नगर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम), द्वारा खड़े किये गये हैं।

उस सदन में श्रीमती कमल रानी वरुण की मृत्यु हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – नवीन गल्ला मण्डी, हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर नगर।

(ह0 अपठनीय),

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

रिटर्निंग आफिसर,

218-घाटमपुर (अ0जा0) विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र, कानपुर नगर।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

337-देवरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

डॉ० सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, ग्राम उधोपुर, पोस्ट उधोपुर, जिला देवरिया, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं।

उस सदन में, जन्मेजय सिंह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – देवरिया।

(ह0 अपठनीय),

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

रिटर्निंग आफिसर,

337-देवरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

## निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

367-मल्हनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री लकी यादव (नाम), उमरपुर कचहरी, जौनपुर (पता), जो समाजवादी पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं।

उस सदन में श्री पारस नाथ यादव की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – जौनपुर।

तारीख – 10 नवम्बर, 2020

(ह0 अपठनीय),

रिटर्निंग आफिसर,

367—मल्हनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

आज्ञा से,

अजय कुमार शुक्ला,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of article 348 (3) of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1190/LXI-2020, dated November 11, 2020 :

No. 1190/LXI-2020

*Dated Lucknow, November 11, 2020*

IN pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of candidates elected in the constituencies referred to therein is published for general information.

## **CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

### **(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 40-Naugawan Sadat Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Sangeeta Chauhan (Name), Vill. and Po. Mundha Pandey, Tehsil and district Moradabad (Address), sponsored by Bhartiya Janata Party (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Chetan Chauhan having being declared vacant.

Place : Naugawan Sadat.

Date : November 10, 2020

(*Sd.*) Illigible,

Returning Officer,

40-Naugawan Sadat,

Assembly Constituency.

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 65-Bulandshahr Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Usha Sirohi, H.No. 749, Civil Lines 15, Preet Vihar Colony, Bulandshahr, sponsored by Bhartiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Virendra Singh Sirohi having become vacant.

Place : Bulandshahr.  
Date : November 10, 2020

ASHISH KUMAR SINGH,  
Returning Officer,  
65-Bulandshahr  
Assembly Constituency.

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 95-Tundla Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Prempal Singh Dhangar, 446, Chitragupt Colony, Etah, sponsored by Bhartiya Janata Party (recognized/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the resignation of Sri Satyapal Singh Baghel having being declared vacant.

Place : Mandi Samiti, Tundla.  
Date : November 10, 2020

RAJESH KUMAR VERMA,  
Returning Officer,  
95-Tundla Assembly Constituency.

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 162-Bangermau Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shrikant Katiyar, Village Raghurampur, Post Ganjmuradabad, District Unnao, sponsored by Bhartiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the election of Kuldeep Singh Sengar having been declared void.

Place : Unnao.

Date : November 10, 2020

DINESH KUMAR,

Returning Officer,

162-Bangermau Legislative Assembly Constituency.

-----

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 218-Ghatampur (S.C.) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Upendra Nath Paswan, 73, Chhabeelepurwa, jajmau, Kanpur Nagar, sponsored by Bhartiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Smt. Kamal Rani Varun having been declared vacant.

Place : Navin Galla Mandi, Hamirpur Road, Naubasta, Kanpur Nagar .

Date : November 10, 2020

(Sd.) Illigible,

Returning Officer,

218-Ghatampur (S.C.)

Assembly Constituency, Kanpur Nagar.

-----

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 337-Deoria Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Dr. Satyaprakash Mani Tripathi *Urf* Guddu Babu, Village-Udhopur, Post-Udhopur, district Deoria, sponsored by Bhartiya Janata Party, has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Janmejai Singh having been declared vacant.

Place : Deoria.

Date : November 10, 2020

(*Sd.*) Illigible,

Returning Officer,

337-Deoria Assembly Constituency.

-----

**CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961**

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

**(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly from 367-Malhani Assembly Constituency in Uttar Pradesh.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Lucky Yadav, Address Umarpur Kutchahari, Jaunpur, [sponsored by Samajwadi Party (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in the House by the death of Sri Paras Nath Yadav due to which the seat of Malhani having been declared vacant.

Place : Jaunpur.

Date : November 10, 2020

(*Sd.*) Illigible,

Returning Officer,

367-Malhani Assembly Constituency.

-----

By order,

AJAY KUMAR SHUKLA,

*Sachiv.*